न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़, जिला श्रीगंगानगर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :–सुरेश राव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या:–13 / 2025
जी.सी.एम.एस नं.–2025 / 24

प्रदीप पुत्र गुरचरणसिंह जाति जटसिख उम्र 55 वर्ष निवासी 11 एस जे एम तहसील तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

––––**वादी**

बनाम्

1. श्रीराम पुत्र फुलाराम जाति अहिर यादव निवासी ग्राम भोजासर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. महावीर पुत्र फुलाराम जाति अहिर यादव निवासी ग्राम भोजासर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज.)
3. श्योकौरी पुत्री फुलाराम जाति अहिर यादव निवासी ग्राम भोजासर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज.)
4. कैलाश देवी पुत्री फुलाराम जाति अहिर यादव निवासी ग्राम भोजासर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज.)
5. सुशीला कुमारी पुत्री फुलाराम जाति अहिर यादव निवासी ग्राम भोजासर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज.)
6. रोशनीदेवी पुत्री फुलाराम जाति अहिर यादव निवासी ग्राम भोजासर तहसील भादरा जिला हनुमानगए (राज.)
7. शकुन्तलादेवी पुत्री फुलाराम जाति अहिर यादव निवासी ग्राम भोजासर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज.)
8. राजबाला पुत्री लक्ष्मीदेवी जाति अहिर यादव निवासी ग्राम भोजासर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज.)
9. विजेन्द्र पुत्र लक्ष्मीदेवी जाति अहिर यादव निवासी ग्राम भोजासर तहसील भादरा जिला हनुमागढ़ (राज.)
10. उपं पंजीयक, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

–––––**प्रतिवादीगण**

<u>प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता.</u>

उपस्थित–

1. श्री रमेश कुमार सोलंकी एडवोकेट वादी की ओर से
2. श्री हंसराज डाल एडवोकेट प्रतिवादी सं.–1 व 2 की ओर से

–:: **निर्णय** ::– **दिनांक:–** 06/5/26

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा उक्त वाद पत्र के माध्यम से माननीय न्यायालय से यह अनुतोष चाहा है कि विवादित कृषि भूमि वाके चक 11 एस जे एम तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–274 / 379 की 25 बीघा व [illegible] इस प्रकार कुल 50 बीघा कृषि भूमि का वादी को मूल आवंटी व खातेदार [illegible] मामचन्द द्वारा निष्पादित एवं पंजीकृत वसीयत दिनांक 03.06.198[illegible] किया जावे और तदनुसार वादी का नाम राजस्व रिकार्ड [illegible] दर्ज करने के आदे[illegible] तहसीलदार अनूपगढ़ को प्रदान किये जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.05.08 16:17:01 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की जरिये स[illegible] तलब किया गया। वाद पत्र में प्रतिवादी सं.–1 व 2 ने **प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 सी.पी.सी** पेश कर निवेदन किया कि वादीगण द्वारा तथाकथित फर्जी व कुटरचित व विधि विरूद्ध वसीयतनामा दिनांक 03.06.1989 के आधार पर मृतक फुलाराम पुत्र मामचन्द निवासी भोजासर

82

तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ की भूमि वाके चक 11 एस जे एम (ए) तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–19 का पत्थर नं.–274/379 व मुरब्बा नं.–22, पत्थर नं.–274/380 कुल भूमि 12.447 हैक्टर कृषि भूमि का हड़प करने के आशय से पेश की है। मृतक फुलाराम पुत्र मामचन्द निवासी भोजासर तहसील भादरा वादी से कभी नहीं मिला और न ही कोई सेवा चाकरी का प्रशन पैदा होता है क्योंकि मृतक फुलाराम के वारिस सेवा चाकरी करने में सक्षम थे तथा मृतक फुलाराम की मृत्यू दिनांक 01.12.1999 को प्रतिवादीगण के निवासी स्थान 1 बी एच डी भोजासर में हुई थी। वादी द्वारा तथाकथित फर्जी व कुटरचित वसीयत गैर खातेदारी कृषि भूमि की है जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अर्न्तगत विधि द्वारा निषेद्ध होने के कारण वादी द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद विधि द्वारा वर्जित होने के कारण खारिज फरमाया जावे।

उक्त प्रार्थना पत्र का जबाब वादी/अप्रार्थीगण की ओर जबाब प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन किया कि उक्त कृषि भूमि पर विधी अनुरूप दस्तावेज के आधार पर वादी का कब्जा काश्त है जिसकी जांच करवाई जा सकती है व उक्त प्रार्थना पत्र के निस्तारण से पूर्व तहसीलदार राजस्व से समस्त रिकार्ड एवं रिपोर्ट मगवाई जानी न्यायसंगत है ताकि सही वस्तु स्थिती उजागर हो सके। मूल आंवटी स्व. फूलाराम ने अपने स्वस्थ लित से वसीयत वादी के पक्ष में निष्पादित की है एवं कब्जा वादी का निरतर चला आ रहा है।

अतः जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा के निरस्त फरमाया जावें।

उभय पक्ष बहस पर मनन किया गया एवं उभय पक्ष के द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टातों का ससम्मान अवलोकन किया। वाद पत्रों के अभिवचनों का सूक्ष्मता से अध्ययन करने पर न्यायालय यह पाता है कि वादी के द्वारा विवादित कृषि भूमि का मूल आवंटी व खातेदार फुलाराम पुत्र मामचन्द द्वारा निष्पादित एवं पंजीकृत वसीयत दिनांक 03.06.1989 के आधार पर खातेदार कृषक घोषणा के संबंध में अनुतोष चाहा है। जबकि कृषि भूमि का दस्तावेज गैर खातेदारी कृषि भूमि का है। राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955– धारा 39– गैर खातेदारी भूमि की वसीयत नहीं की जा सकती धारा 39 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के प्रावधानो के अनुसार खातेदार कृषक अपनी खातेदारी भूमि की ही वसीयत कर सकता है। गैर खातेदार कृषक को वसीयत करने का अधिकार नही है। गैर खातेदारी कृषि भूमि वसीयत गैर कानूनी व शून्य दस्तावेज है तथा शून्य व गैर कानूनी दस्तावेज के आधार पर वादी किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। वादी का वाद पत्र विधि द्वारा वर्जित होने कारण काबिल निरस्त है अतः प्रतिवादी सं.–1 व 2 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद नामंजूर किया जाना उचित प्रतीत होता है।

–:: आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रतिवादी सं.–1 व 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सि.प्र.सं. स्वीकार किया जाकर वादी का वाद पत्र इसी अवस्था पर नामंजूर किया जाता है।

निर्णय आज **दिनांक** 06/05/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.05.08 16:17:01 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़